

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 498 सन 2022

अनवान :-

1. बाबुखां पुत्र खुशी मोहम्मद जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
2. आबिद पुत्र खुशी मोहम्मद जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
3. रफीक पुत्र सम्सुदीन जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
4. बबलू खान पुत्र समशु खान जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. खुशी मोहम्मद पुत्र गन्नीखां जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
2. सम्सुदीन पुत्र गन्नी खां जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
3. बिसमीला पुत्री गन्नी खा जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
4. मुमताज पुत्री गन्नी खां जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
5. गिरधारी पत्नी गन्नी खां जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
6. रूकशाना पुत्री खुशी मोहम्मद जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
7. कबीना पुत्री खुशी मोहम्मद जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
8. सलमा पुत्री खुशी मोहम्मद जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
9. रूखसाना पुत्री सम्सुदीन जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
10. सुलताना पुत्री सम्सुदीन जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
11. दोलत पुत्री सम्सुदीन जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
12. हसीना पुत्री सम्सुदीन जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
13. सबीना बानो पुत्री सम्सुदीन जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 30/6/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 675/663 की कुल 8.3470 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है ।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गन्नीखां वल्द माडुखां के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गन्नीखां वल्द माडुखां के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज हुई ।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो वादी के पिता/बुआ दादी है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गन्नीखां वल्द माडुखां के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादीगण के पिता है एव गन्नीखां के पुत्र है प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादीगण की बुआ एवं गन्नीखां की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 5 वादीगण की दादी है प्रतिवादी संख्या 7 ता 13 वादीगण की बहने एवं सम्सुदीन की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है । इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक

हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव गिधारी पत्नी गन्नीखां के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता गन्नीखां वल्द माडुखां के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजे/पिता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 675/663 की कुल 8.3475 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गन्नीखां वल्द माडुखां के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गन्नीखां वल्द माडुखां के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो वादी के पिता/बुआ दादी है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गन्नीखां वल्द माडुखां के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादीगण के पिता है एव गन्नीखां के पुत्र है प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादीगण की बुआ एवं गन्नीखां की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 5 वादीगण की दादी है प्रतिवादी संख्या 7 ता 13 वादीगण की बहने एवं सम्मुदीन की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

अध्यक्ष अधिकारी (राजस्व)
बोहर (हनुमानगढ़)

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 675/663 की कुल 8.3475 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व गिरधारी के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि गन्नीखां वल्द माडुखां के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गन्नीखां वल्द माडुखां के नाम से दर्ज है वादी के दादा गन्नीखां वल्द माडुखां के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व गिरधारी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 675/663 की कुल 8.3470 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज हिस्सा सहित 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के एवं तथा पहले से दर्ज हिस्से सहित 1/2 हिस्सा के वादीगण संख्या 3 ,4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 तीनों बहिब के इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/6/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. बाबुखां पुत्र खुशी मोहम्मद जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
2. आबिद पुत्र खुशी मोहम्मद जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
3. रफीक पुत्र सम्सुदीन जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
4. बबलू खान पुत्र समशु खान जाति धोबी निवासी ननाउ तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

- 1 खुशी मोहम्मद पुत्र गन्नीखां जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 2 सम्सुदीन पुत्र गन्नी खां जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 3 बिसमीला पुत्री गन्नी खा जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 4 मुमताज पुत्री गन्नी खां जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 5 गिरधारी पत्नी गन्नी खां जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 6 रूकशाना पुत्री खुशी मोहम्मद जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 7 कबीना पुत्री खुशी मोहम्मद जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 8 सलमा पुत्री खुशी मोहम्मद जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 9 रूखसाना पुत्री सम्सुदीन जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 10 सुलताना पुत्री सम्सुदीन जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 11 दोलत पुत्री सम्सुदीन जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 12 हसीना पुत्री सम्सुदीन जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 13 सबीना बानो पुत्री सम्सुदीन जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
- 14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 498 सन 2022 निर्णय दिनांक-30/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 675/663 की कुल 8.3470 हैक्ठु भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज हिस्सा सहित 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 1 तीनो बहिब के एवं तथा पहले से दर्ज हिस्से सहित 1/2 हिस्सा के वादीगण संख्या 3 ,4 एव प्रतिवादी संख्या 2 तीनो बहिब के इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)